

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान,
"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन/2019/ 813-1463

दिनांक : 16.1.2020

~::~ शुद्धि-पत्र ~::~

विभागीय परिपत्र संख्या 01/2020 दिनांक 03.01.2020 के संलग्न चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 7 को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

7. (i) सम्पत्ति की चतुर्दिक स्थिति :

उत्तर में :

दक्षिण में :

पूर्व में :

पश्चिम में :

(ii) नगरीय क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर) की वास्तविक स्थिति दर्शाने हेतु:-

Latitude

Longitude

संलग्न - नवीन-चैक लिस्ट

16.1.20
(महावीर प्रसाद)


महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान-अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन/2019/ 813-1463

दिनांक : 16.01.20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. कार्यालय महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर-302005।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक एफ.6(983)पी.ए.सी. 2013-14 सिफारिश/298वां प्रति./2018-19/1188 दिनांक 30.11.2018 के संदर्भ में।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक-डी वित्त भवन जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को पत्र की प्रति, विभाग की वेबसाइट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


16.1.20
महानिरीक्षक



राजस्थान-सरकार
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
पंजीयन हेतु विवरण पत्र
(राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम-57 के तहत)
(भूमि व भवन सम्बन्धी दस्तावेजों के लिये)
भाग (अ)
(पक्षकारों द्वारा भरे जाने के लिये)

दस्तावेज का विवरण :

- स्टाम्प शुल्क की दृष्टि से दस्तावेज की कैटेगरी : सामान्य 100% छूट 4 आंशिक छूट
शुल्क छूट की श्रेणियां SC/ST/BPL महिला सामान्य महिला विकलांग गिफ्टडीड RIPS-03
 RIPS-10 SICK Unit पर्यटन विक्रय पत्र स्थानीय निकाय अन्य श्रेणी 100% छूट अन्य
श्रेणी आंशिक छूट
दस्तावेज की प्रकृति (विक्रय/लीज/बन्धक/दानपत्र/विभाजन)
- मुद्रांक शुल्क पर अधिभार की दृष्टि से दस्तावेज का क्षेत्र : शहरी पैराफेरी ग्रामीण
- दस्तावेज की प्रतिफल राशि :
- दस्तावेज के निष्पादन की तिथि : -- प्रस्तुतीकरण दिनांक : --
- विक्रेता/क्रेता का विवरण : (तीन से अधिक होने की दशा में अलग पृष्ठ पर प्रस्तुत करें।)

क्र.सं	विक्रेता/ प्रस्तुतकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	मोबाईल/ लैण्डलाइन नं०	ई-मेल	जाति	व्यवसाय	आयु	लिंग	पैन नं०	आधार नं०

क्र.सं	क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	मोबाईल / लैण्डलाइन नं०	ई-मेल	जाति	व्यवसाय	आयु	लिंग	पैन नं०	आधार नं०

(आयकर अधिनियम के तहत 5 लाख या अधिक के दस्तावेज में आवश्यक, अन्यथा फॉर्म नं. 60 व 61 में घोषणा पत्र देना आवश्यक)

- गैर कृषि सम्पत्ति का क्षेत्र व पता : शहरी ग्रामीण

मकान/प्लॉट नं.	कॉलोनी/मोहल्ला	एरिया का नाम	गली/मुख्य सडक का नाम	शहर/तहसील/जिला

- कृषि भूमि के मामलों में :-

- ग्राम का नाम
- खसरा नम्बररकबा (बीघा में).....बीघा..... बिस्वा
- सिंचित/असिंचित.....
- मुख्य रोड़ पर/रोड़ का नाम.....
- कुआं/ट्यूबवेल व इन पर निर्माण का क्षेत्रफल निर्माण की श्रेणी
- क्षेत्र का विवरण : नगरपालिका पैराफेरी ग्रामीण आबादी
नेशनल हाईवे / मेगा हाईवे / स्टेट हाईवे / 100 मीटर / 200 मीटर

- (vii) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 17 के साथ पठित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम की धारा 17 की उप धारा(2) के खण्ड (क)के साथ पठित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के नियम 9 के उप-नियम (1) एवं (2) में यथा-अपेक्षित निम्नलिखित प्रारूपों में घोषणा-

प्रारूप-6
(नियम 9(1) देखिए)
धारा 17(2)(क) के अधीन घोषणा

प्रेषिती:

उपरजिस्ट्रार,

.....
मैं..... पुत्र श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील.....
जिला..... कथन करता हूँ कि मैं, श्री..... पुत्र निवासी
ग्राम..... तहसील..... जिला..... को नीचे वर्णित भूमि..... के रूप में
अन्तरित करना चाहता हूँ-

भूमि का वर्णन

खाता सं.	खसरा सं.	गांव, जिसमें भूमि स्थित है (तहसील और जिले का नाम भी लिखें)
----------	----------	---

उपर्युक्त मैं..... इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा अन्तरित किये जाने के लिए उल्लिखित उक्त भूमि अधिशेष भूमि घोषित नहीं की गयी है और मुझे को लागू अधिकतम-सीमा से अधिक नहीं की जा सकती है।

मैं..... सत्यापित करता हूँ कि इस घोषणा की अन्तर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सही है।

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

स्थान.....

प्रारूप-7
(नियम 9(2) देखिए)
धारा 17(2)(क) के अधीन घोषणा का प्रारूप

प्रेषिती:

उपरजिस्ट्रार,

.....
मैं..... पुत्र श्री..... निवासी ग्राम.....
तहसील..... जिला..... कथन करता हूँ कि मैं, श्री.....
पुत्र श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील..... जिला..... से ...
..... नीचे वर्णित भूमि..... रूप में अर्जित करना चाहता हूँ-

भूमि का वर्णन

खाता सं.	खसरा सं.	क्षेत्रफल	गांव, जिसमें भूमि स्थित है (तहसील और जिले का नाम भी लिखें)
----------	----------	-----------	---

उपर्युक्त मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पहले ही नीचे वर्णित भूमि धारित करता हूँ-

भूमि का वर्णन

खाता सं.	खसरा सं.	क्षेत्रफल	गांव, जिसमें भूमि स्थित है (तहसील और जिले का नाम भी लिखें)
----------	----------	-----------	---

उपर्युक्त मैं.....यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे अन्तरित की जाने वाली उक्त भूमि सहित मेरे द्वारा पहले ही धारित भूमि मुझको अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक नहीं होगी।
मैं..... सत्यापित करता हूँ कि घोषणा की अर्न्तवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सही है।

हस्ताक्षर.....
तारीख.....
स्थान.....

7. (i)सम्पत्ति की चतुर्दिक स्थिति :

उत्तर में : दक्षिण में :
पूर्व में : पश्चिम में :

(ii) नगरीय क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर)की वास्तविक स्थिति दर्शाने हेतु:-

Latitude Longitude

मूल्यांकन की दृष्टि से सम्पत्ति का विवरण :

8. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि आवासीय व्यवसायिक काम्प्लैक्स आवासीय
 काम्प्लैक्स व्यवसायिक औद्योगिक (रीको औद्योगिक क्षेत्र/अन्य)
 संस्थानिक फर्म/कम्पनी फार्महाऊस मैरिज गार्डन रिसोर्ट खनन मिश्रित उपयोग

9. वर्तमान उपयोग : कृषि आवासीय व्यवसायिक काम्प्लैक्स आवासीय
 काम्प्लैक्स व्यवसायिक औद्योगिक (रीको औद्योगिक क्षेत्र/अन्य)
 संस्थानिक फर्म/कम्पनी फार्महाऊस मैरिज गार्डन रिसोर्ट खनन मिश्रित उपयोग
(आंशिक होने पर अलग-अलग उपयोग के अनुसार विवरण.....)

10. डी0एल0सी0 दर की दृष्टि से मुख्य क्षेत्र :उपक्षेत्र/कॉलोनी :

11. मुख्य सड़क पर स्थित है अथवा पीछे की सड़क पर
(सड़क की चौड़ाई एवं नाम आदि कोई हो)

12. भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग फुट/वर्ग गज/वर्ग मीटर) :

13. कॉर्नर प्लॉट : हाँ नहीं

14. विकास करने वाली संस्था : विकास प्राधिकरण/यू0आई0टी0/नगरपालिका/निगम/परिषद
/आवासन मण्डल / बिल्डर/सहकारी समिति/निजी निवेशकर्ता/अन्य

15. खाली/निर्मित व निर्माण की प्रकृति : खाली निर्मित RCC RCC से भिन्न

16. निर्माण की श्रेणी : आर.सी.सी. छत पट्टी पोश छत आर.सी.सी./पट्टी पोश से भिन्न निर्माण
 छत के साथ ढांचा किन्तु प्लास्टर, फर्श, सेनेटरी, विद्युत के बिना छत रहित
ढांचा प्लीथ लेवल तक निर्माण

17. निर्मित भाग का विवरण व क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : निर्माण का वर्ष.....(सबूत सहित)

18. बाउण्ड्रीवाल : लम्बाई (रनिंग मीटर में)

19. टीनशेड निर्मित होने पर क्षेत्रफल : हॉ (वर्गमीटर) औद्योगिक शेड
 औद्योगिक शेड से भिन्न शेड
20. तल : भू-तल छत सहित भू-तल छत रहित प्रथम या द्वितीय तल छत रहित तृतीय या उससे उपर के तल / बेसमेन्ट छत रहित छत के अधिकार के साथ
21. बहुमंजिला हो तो प्रत्येक मंजिल का भूमि एवं निर्मित क्षेत्रफल :
 (क) ग्राउण्ड फ्लोर वर्ग फुट (ख) प्रथम मंजिल वर्ग फुट
 (ग) द्वितीय मंजिल वर्ग फुट (घ) तृतीय मंजिल वर्ग फुट
 (ङ) बेसमेन्ट वर्ग फुट

22. मुद्रांक के रूप में चुकाये गये शुल्क का विवरण-

क्रसं	टाईप	स्टाम्प क्रमांक/फ्रैंक करने वाली बैंक/संस्था का नाम	मूल्य
1.	स्टाम्प		
2.	फ्रैंकिंग		
3.	ई-स्टाम्प		
4.	ई-ग्रास		
5.	डी.डी./बैंक पे-आर्डर		
कुल			

23. शेष देय राशि भुगतान का विकल्प

- (i) कमी मुद्रांक - स्टाम्प ई-स्टाम्प फ्रैंकिंग ई-ग्रास डी.डी./बैंक पे-आर्डर
 (ii) पंजीयन एवं अन्य शुल्क - डी.डी./बैंक पे-आर्डर ई-ग्रास एजेन्सी अन्य

24. इस दस्तावेज में उल्लेखित सम्पत्ति के संबंध में यदि न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है तो वाद संख्या, पक्षकार का नाम व स्थगनादेश स्थिति अंकित करे :-
25. पंजीयन पश्चात् दस्तावेज सुपुर्दगी बाबत :-
 यह दस्तावेज पंजीयन होने के पश्चात् श्री/श्रीमति/सुश्री/वकील को सुपुर्द करने के लिये अधिकृत करता हूँ।
26. जिस दस्तावेज के आधार पर इस दस्तावेज का निष्पादन किया गया है, क्या वह पंजीकृत मुद्रांकित है ?
 यदि नहीं तो समस्त पूर्ववर्ती अपंजीकृत/अमुद्रांकित/अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेजों का विवरण अंकित करें -
 पंजीयन क्रमांक दिनांक

हस्ताक्षर
 विक्रेता/निष्पादक/प्रस्तुतकर्ता/क्रेता
 दिनांक

घोषणा-पत्र

मैं/हम(निष्पादक/प्रस्तुतकर्ता)
पुत्र/पुत्री/पत्नि आयु जाति
..... निवासी

..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती/करते हूँ/है कि ऊपर उल्लेखित हस्तान्तरण की जाने वाली सम्पत्ति मेरी/हमारी है तथा उसे हस्तान्तरण करने के हक, हकूक मुझे/हमें प्राप्त है। यह सम्पत्ति सरकारी अथवा स्थानीय निकाय की नहीं है। इस सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किसी न्यायालय का पंजीयन बाबत कोई स्थगनादेश नहीं है। उपरोक्त पैरा 1 से 26 में वर्णित सूचनाएँ/तथ्य पूर्णतः सत्य है।

यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाये जाते तो मैं/हम इसके लिये उत्तरदायी हूँ/रहेंगे।

हस्तान्तरण की जाने वाली सम्पत्ति का पूर्ण विवरण

हस्ताक्षर नाम व पता गवाह संख्या (1)
.....

निष्पादक / प्रस्तुतकर्ता
(समस्त)
हस्ताक्षर

हस्ताक्षर नाम व पता गवाह संख्या (2)
.....

स्थान
दिनांक

भाग (ब)
(उप पंजीयक के समक्ष भरे जाने के लिये)

1. निष्पादक/पावर ऑफ अटोर्नी की जांच पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-34 व 35 के प्रावधानानुसार कर ली गई है : हाँ नहीं
2. प्रस्तुतकर्ता पावर ऑफ अटोर्नी होने की दशा में पावर ऑफ अटोर्नी पंजीयन अधि. की धारा-33 के अनुसार तस्दीक है : हाँ नहीं
3. निष्पादक व प्रस्तुतकर्ता को उप पंजीयक स्वयं जानता है : हाँ नहीं, यदि नहीं हो तो पहचान पत्र का नाम
4. यदि निष्पादक/पहचानकर्ता की पहचान किसी अन्य जानकार व्यक्ति ने की है तो उसका विवरण :-

क्रस	नाम व पिता/पति का नाम	आयु	जाति	व्यवसाय	पूर्ण पता	मोबाइल /लैण्डलाइन नं०	हस्ताक्षर मय दिनांक

5. भाग "अ" की पूर्ण जांच कर ली गई है हाँ नहीं
6. प्रस्तुतकर्ता निष्पादक से भिन्न होने की दशा में अधिकार-पत्र/पावर ऑफ अटोर्नी की प्रति संलग्न है और उसका मूल से मिलान कर लिया गया है : हाँ नहीं

हस्ताक्षर उप पंजीयक

कार्यालय रिपोर्ट

1. सम्पत्ति राजकीय/स्थानीय निकाय की नहीं होने का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
2. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सम्पत्ति स्थगनाधीन/आवृत्तिधीन नहीं है।
3. स्टाम्प विक्रेता/ट्रेजरी का नाम :
4. पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जांच :-
 1. दस्तावेज की फोटो प्रति।
 2. दस्तावेज में नक्शा संलग्न होना बताया गया है तो उसकी दो प्रतियाँ।
 3. पहचान के संबंध में प्राप्त दस्तावेज की प्रति
 4. कृषि भूमि का मामला हो तो - (क) नवीनतम जमाबन्दी (ख) नवीनतम चौसाला गिरदावरी
 5. अन्य दस्तावेज का नाम जो संलग्न किये गये है
 6. अचल सम्पत्ति के विक्रय, दान, 20 वर्ष या अधिक की लीज के मामलों में सम्पत्ति का सामने व साईड फोटोग्राफ।
 7. क्रेता/विक्रेता की फोटोग्राफ एवं फिंगर प्रिन्ट
 8. यदि प्रस्तुतकर्ता निष्पादक/दावेदार से भिन्न हो तो उसका फोटोग्राफ
5. दस्तावेज के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज संलग्न है और जांच कर ली है।
6. डी०एल०सी० की दृष्टि से जोन/मुख्य क्षेत्र/कोलोनी-मोहल्ला डी०एल०सी० पृष्ठ संख्या/क्रमांक :
7. भूमि का वर्गीकरण : कृषि आवासीय व्यवसायिक काम्प्लैक्स आवासीय
 काम्प्लैक्स व्यवसायिक औद्योगिक (रीको औद्योगिक क्षेत्र से दूरी..... किमी)
 संस्थानिक फर्म फार्महाऊस मैरिज गार्डन/रिसॉर्ट्स/खनन/मिश्रित उपयोग
8. डी०एल०सी० दर रूपये : प्रति वर्गफुट/प्रति वर्गमीटर/प्रति बीघा/प्रति हैक्टेयर
9. अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/सरचार्ज : (यदि राज्य सरकार द्वारा लगायी हो तो)
10. कुल देय स्टाम्प शुल्क: [] स्टाम्प पेपरस् आदि के रूप में दिया गया स्टाम्प शुल्क : []
 शेष देय स्टाम्प शुल्क: [] देय पंजीयन व अन्य शुल्क: []
11. मुद्रांक शुल्क छूट : [] पंजीयन शुल्क छूट : [] कुल छूट : []
12. मालियत की गणना -
 - सम्पत्ति पर लागू डी.एल.सी. दरों के अनुसार मालियत गणना की गई है।
 - निर्मित क्षेत्रफल का चैकलिस्ट में पक्षकार द्वारा वर्णित श्रेणीनुसार/साक्ष्य दस्तावेज के आधार परवर्ष के ह्रास का लाभ दिया गया
 - मूल्यांकन के अन्य आधार
13. पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के साथ प्रस्तुत चैक लिस्ट का दस्तावेज से पूर्णतया मिलान करके निष्पादक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वेल्डूवेशन की पूर्ण जाँच करके देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि प्राप्त कर ली गई है। आदेश हो तो दस्तावेज पंजीयन की कार्यवाही की जावे।

हस्ताक्षर पंजीयक लिपिक

दस्तावेज पंजीयन किया जावे/..... कारण से दस्तावेज पंजीयन की कार्यवाही लम्बित की जावे।

हस्ताक्षर उप पंजीयक

मौका निरीक्षण पंजीका क्रमांक

दस्तावेज सं. / दिनांक

मौका निरीक्षण प्रतिवेदन
(राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम-57)

1. नाम निरीक्षणकर्ता
2. किन व्यक्तियों के समक्ष/साथ निरीक्षण किया गया.....
3. निरीक्षण का दिनांक व समय
4. सम्पत्ति का वर्तमान उपयोग : कृषि आवासीय व्यवसायिक काम्प्लैक्स आवासीय
 काम्प्लैक्स व्यवसायिक औद्योगिक (रीको क्षेत्र में/ रीको क्षेत्र से बाहर)
 संस्थानिक फर्म/कम्पनी फार्महाऊस मैरिज गार्डन रिसोर्ट खनन
(आंशिक होने पर अलग-अलग उपयोग के अनुसार विवरण.....)
5. मुख्य सड़क पर स्थित है अथवा पीछे की सड़क पर
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग फुट/वर्ग गज/वर्ग मीटर) : 8. कॉर्नर प्लॉट : हाँ नहीं
7. तल : भू-तल छत सहित भू-तल छत रहित प्रथम तल द्वितीय तल तृतीय तल या ऊपर तहखाना
8. क्या निर्मित है : हाँ नहीं प्रकृति : RCC पट्टीपोश अन्य
9. निर्माण की श्रेणी : RCC पट्टीपोश अन्य
10. निर्मित भाग का विवरण व क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) :
11. निर्माण का वर्ष (सबूत साथ में हो)
12. बहुमंजिला हो तो प्रत्येक मंजिल का क्षेत्रफल (वर्ग फुट/वर्ग गज/वर्ग मीटर)
(क) ग्राउण्ड फ्लोर वर्ग फुट
(ख) प्रथम मंजिल वर्ग फुट
(ग) द्वितीय मंजिल वर्ग फुट
(घ) तृतीय मंजिल वर्ग फुट
(ङ) बैसमेन्ट वर्ग फुट
13. बाउण्ड्रीवाल प्रकार : बाउण्ड्रीवाल बनी हो तो उसकी लम्बाई (रनिंग मीटर) [.....]
14. टीनशेड बना हो तो उसकी लम्बाई (वर्गमीटर) [.....] औद्योगिक शेड औद्योगिक से भिन्न शेड
15. कृषि भूमि के मामले में :-
(क) खसरा नम्बर रकबा (बीघा में)..... बीघा..... बिस्वा
(ख) सिंचित/असिंचित.....
16. भूमि की स्थिति : नेशनल हाईवे मेगा हाईवे स्टेट हाईवे आबादी पेराफेरी क्षेत्र
(घ) क्षेत्र : नगरपालिका पेराफेरी ग्रामीण
17. सम्पत्ति का स्थिति दर्शाने हेतु वास्तविक : Latitude [.....] Longitude [.....]
18. औद्योगिक भूमि के मामले में रीको औद्योगिक क्षेत्र/रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर

*25 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर आवश्यक रूप से भरा जावे।

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर नाम एवं पता गवाह 1.

हस्ताक्षर नाम व पता गवाह 2.

उप पंजीयक की टिप्पणी - क्या सम्पत्ति प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार है ? हाँ नहीं
यदि नहीं तो विवरण अंकित करें :-

हस्ताक्षर उप पंजीयक